<u>दिनांक 07.01.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 139वीं बैठक के कार्यवृत्त</u>

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 139वीं बैठक श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में श्री राजेश्वर सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, श्री संजय सिंह, उप सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार,श्री प्रमोद प्रधान, महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्रीमती काया त्रिपाठी, महाप्रबंधक, वित्तीय समावेशन विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक,श्री आर. के. थानवी, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड,श्री एन.सी. उप्रेती, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान,श्री बी.एस. जाट, संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग (सं.वि.), राजस्थान सरकार तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों / अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी. **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया. उन्होने समिति के अध्यक्ष महोदय को उद्बोधन हेतु अनुरोध किया.

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, अध्यक्ष,राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं सदस्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के अधिकारियों, राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया तथा अपने उद्बोधन में एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की. उन्होने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सम्माननीय मंच पर राज्य सरकार और वरिष्ठ बैंकर्स के साथ उपस्थित होकर विचार साझा करने में अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है.

उन्होने दिनांक 26.09.2018 को आयोजित 138वीं एसएलबीसी राजस्थान की बैठक के बाद हुई विभिन्न योजनाओं की अद्यतन सूचना से सदन को अवगत करवाया जिनमें से प्रमुख निम्नानुसार है :

- भारत सरकार द्वारा एमएसएमई उद्यमियों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए '59 मिनट में पीएसबी ऋण' सुविधा को आरंभ किया है. यह मानव रहित ऑनलाइन पोर्टल है. इस पोर्टल पर राशि रू 1 करोड़ तक के ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऑनलाइन ही इन-प्रिंसिपल स्वीकृत किए जाते है जिससे एमएसएमई उद्यमियों को ऋण उपलब्ध करवाने की कार्यवाही का समय (TAT)20-25 दिनों से घटकर 59 मिनट हो गया है एवं स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के बाद 7-8 कार्य दिवसों में ऋण राशि का वितरण किया जाना संभव हो पाया है.

- वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS), भारत सरकार ने एमएसएमई उद्यमियों के लिए सपोर्ट एंड आउटरीच अभियान लॉच किया है, जिसके द्वारा 100 जिलों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति की गहन

निगरानी की जानी है जिसमें राजस्थान के 7 जिले यथा अजमेर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, राजसमंद एवं सीकर तथा 1 शहर किशनगढ़ शामिल हैं. उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि इन शिविरों में विशेष ध्यान दें क्योंकि यह कार्यक्रम एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने, उनकी क्षमता को बढ़ाने, भारतीय अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाने, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने, रोजगार और निर्यात बढ़ाने हेतु शुरू किया है.

- वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा देश भर में बैंकरहित केन्द्रों पर ब्रिक एंड मोर्टार शाखाओं/ बैंकिंग आउटलेट अथवा बैंक मित्र के द्वारा बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर ज़ोर दिया गया है. वर्तमान में राजस्थान में कुल 895 बैंकरहित केन्द्रों में से 807 केन्द्रों पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं. उन्होने उन सदस्य बैंकों की सराहना की जिन्होने इस स्थानों को कवर करने के लिए अपने कठोर प्रयास दिखाए है. साथ ही शेष रहे केन्द्रों पर भी जल्द से जल्द बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया.
- यूआईडीएआई (UIDAI) के निर्देशानुसार, बैंकों के लिए शाखा परिसर के अंदर आधार नामांकन (Enrolment) एवं अद्यतन (Update) सुविधा उपलब्ध करवाना अनिवार्य है. उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि शाखा परिसर में स्थापित किए गए आधारनामांकन केंद्र का प्रचार प्रसार करें जिससे आमजन इस सुविधा का अधिकाधिक लाभ ले सकें.
- उत्पादकों, विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों का उत्पादक संगठनों में समूहीकरण सबसे कारगर तरीकों में से एक है. यह कृषि से जुड़ी अनेक चुनौतियों का सामना करने तथा निवेश, प्रौद्योगिकी एवं आदान तथा बाजार तक पहुंच में सुधार के लिए भी एक अत्यंत प्रभावी तरीका बन कर उभरा है. कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को सबसे उपयुक्त संस्थानिक स्वरूप के रूप में चिन्हित किया है जिसके इर्दगिर्द किसानों को संगठित किया जाएगा तथा विपणन क्षमता का सामूहिक रूप से लाभ उठाने के लिए उनकी क्षमता निर्मित की जाएगी.
- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दबावग्रस्त (Stressed) हो चुके एमएसएमई खातों की सार्थक पुनर्रचना (Restructuring) को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से 'मानक' (Standard) के रूप में वर्गीकृत एमएसएमई के वर्तमान ऋणों को, आस्ति वर्गीकरण में गिरावट के बिना, एक बार कुछ शर्तों के साथ पुनर्रचित किए जाने की अनुमति दी गई है.
- राजस्थान सरकार द्वारा अल्पकालिक कृषि ऋण खातों पर रु 2.00 लाख रुपए तक की छूट की घोषणा की गई है. ऋण माफी योजना किसानों को राहत प्रदान करती है जिससे उन्हें अगली फसल में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है. राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन करने हेतु साथी बैंकरों से अनुरोध किया ताकि अपने राज्य के किसानों के कल्याण में योगदान कर सकें.
- अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य के सितंबर 2018 तिमाही के विभिन्न पैरामीटर्स यथा कुल जमाओं, कुल अग्रिमों, कृषि अग्रिमों, सीमांत एवं लघु कृषकों को ऋण, वार्षिक साख योजना के अंतर्गत उपलब्धि, साख जमा अनुपात इत्यादि के बारे में बताया एवं उक्त सभी पैरामीटर्स पर एजेंडा के कार्यबिन्दु के साथ चर्चा करने की सलाह दी. उन्होने भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना व स्टैंड अप योजना में बैंकों को आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन

योजना में अधिक से अधिक नामांकन करवाने हेतु बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया. साथ ही उन्होने प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों में आधार सीडिंग, आधार प्रमाणीकरण, मोबाइल नंबर व रूपे कार्ड एक्टिवेशन पर भी प्रकाश डाला।

उन्होने निम्न मुद्दों पर राज्य सरकार से सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया:-

- राज्य सरकार के स्तर पर आर सेटी के भूमि आवंटन का मामला लंबित होने के कारण 3 केंद्रों (अलवर, पाली एवं सवाई माधोपुर) में आर सेटी परिसर का निर्माण शुरू नहीं हुआ है. इसके अलावा 3 केंद्रों (जैसलमेर, जालोर एवं सीकर) को भूमि आवंटित तो कर दी गई है लेकिन अभी भी कुछ मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता है. इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया.
- राको (रोड़ा) एक्ट एवं SARFAESI एक्ट के अंतर्गत जिला/ ब्लॉक स्तर पर बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित है. यहाँ तक कि कुछ मामले तो एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं. बैंकों के बढ़ते हुए एनपीए को देखते हुए वसूली हेतु बैंकों के पक्ष में वातावरण बनाने की आवश्यकता है.
- उन्होने यह भी सुझाव दिया कि राको (रोड़ा) और SARFAESI अधिनियम के तहत दायर मामलों में वसूली को प्रोत्साहन देने के लिए एवं लंबित मामलों के निष्पादन हेतु ब्लॉक / जिला प्राधिकरणों को लक्ष्य आवंटित किए जा सकते हैं.
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंकों को दिये गए लक्ष्य प्रतिवर्ष हासिल किए जा रहे हैं। उक्त योजना के अंतर्गत दिये गए ऋणों की वसूली हेतु राज्य वसूली अधिनियमों के प्रावधानों के तहत उक्त योजना को शामिल करने की आवश्यकता है।

अंत में राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों के आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद किया.

श्री प्रमोद प्रधान,महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि राज्य में साख जमा अनुपात बेहतर है परंतु भारतीय स्टेट बैंक (52.38%), यूको बैंक (58.53%) एवं अन्य कुछ बैंक का साख जमा अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क से साख जमा अनुपात कम रहा है, इस संबंध में उन्होने इन बैंकों को साख जमा अनुपात बढ़ाने की कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए.

साथ ही उन्होने बताया कि राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बेंचमार्क के सापेक्ष कम उपलब्धि वाले बैंक आंध्रा बैंक (30.61%), बैंक ऑफ इंडिया (32.87%), इंडियन ओवरसीज़ बैंक (34.04%) को निर्देश प्रदान किए कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बेंचमार्क को प्राप्त करना सुनिश्चित करें.

उन्होने बताया कि राजस्थान राज्य में कृषि क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋणों में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता बताई जिसके लिए भारतीय स्टेट बैंक (29.07%), इलाहबाद बैंक

(21.80%), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (28.57%) एवं यूनाइटेड बैंक (20.48%) से इस संबंध में अधिकाधिक प्रयास करने हेतु अनुरोध किया.

उन्होने वित्तीय समावेशन के तहत राजस्थान राज्य में बैंकों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि 5000 से अधिक आबादी वाले कुल 171 केन्द्रों में से 170 केन्द्रों पर ब्रिक एंड मोर्टार शाखा अथवा बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं. शेष रहे 1 केंद्र (ग्राम इटवाया) में भी शीघ्र बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवा दिए जाने की उम्मीद जताई. 5 कि.मी. की परिधि में बैंकिंग सुविधा रहित 895 गांवों में से 807 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गयी हैं. इस संबंध में उन्होने बताया कि कुछ बैंकों द्वारा सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है. उक्त बैंक एयू स्माल फायनेंस बैंक, ईक्विटास स्माल फायनेंस बैंक, बंधन बैंक एवं कोटक महिंद्रा बैंक है जिस पर उन्होने असंतोष व्यक्त किया एवं एयू स्माल फायनेंस बैंक, ईक्विटास स्माल फायनेंस बैंक, बंधन बैंक एवं कोटक महिंद्रा बैंक को वित्तीय समावेशन के तहत आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करनेके निर्देश प्रदान किए.

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष के मुक़ाबले वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज काफी कम रहा है। 66274 के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 27412 स्वयं सहायता समूहों को ही ऋण प्रदान किया गया है जो कि मात्र 41.36% है एवं स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज औसत ऋणराशि रू 1.00 लाख से काफी कम है.उन्होने समस्त बैंकों निर्देश प्रदान किए कि भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही इस परियोजना को सफल बनाने के लिए वित्तीय वर्ष समाप्ति में शेष रहे 3 महीनों में विशेष कैंप लगाकर एवं कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु अधिकाधिक प्रयास किए जाएँ.

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

संयोजक, एस.एल.बी.सी. राजस्थान ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष महोदय व मंचासीन सदस्यों की अनुमति से श्री जयेश संघी, वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थानसे बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ करने के निर्देश प्रदान किए.

श्री जयेश संघी, वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समितिके अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उन्होने बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दु पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

<u>एजेण्डा क्रमांक -1</u> (1.1) विगत **138** वीं बैठक के कार्यवृत्त की सदन द्वारा पुष्टि की गयी.

<u>एजेण्डा क्रमांक - 2</u>

Revamp of Lead Bank Scheme

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रणी बैंक योजनाओं के सुधार (Revamp) हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक स्कीम में सुधारों के लिए दिए गए के सुझावों की अनुपालना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के कार्यवाही बिन्दुओं में परिवर्तन किए गए हैं जिनमें से मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं-

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक में नीतिगत मुद्दों पर ही चर्चा करने के लिए केन्द्रित होगी एवं उक्त बैठक में बैंकों/ विभिन्न सरकारी विभागों के केवल राज्य प्रमुख/ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही सहभागिता की जावेगी.
- नियमित मुद्दों पर चर्चा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विभिन्न उप समितियों की बैठक में की जाएगी.
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की त्रैमासिक बैठक हेतु नीतिगत मुद्दो का निर्धारण स्टियरिंग समिति बैठक में विभिन्न हितधारकों द्वारा किया जावेगा.

साथ ही उन्होने विभिन्न उपसमितियों के आयोजन का विवरण प्रस्तुत किया जो कि निम्नानुसार है:-

उपसमिति	बैठक की दिनांक
1. वित्तीय समावेशन	13.11.2018
2. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं	03.12.2018
3. एसएचजी/जेएलजी/ एफ़पीओ	16.11.2018
4. कृषि योजनाओं से संबन्धित	16.11.2018
5. एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन	03.12.2018
6. बकाया ऋण वसूली की उपसमिति शासन सचिव,राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय नहीं दिये जाने के कारण आयोजित नहीं की जा सकी.	
7. स्टीरिंग समिति की तृतीय बैठक	12.12.2018

<u>एजेण्डा क्रमांक - 3</u>

Key Business Parameters

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि शाखा विस्तार: 30सितंबर, 2018 तक राज्य में कुल 7757 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं. वित्तीय वर्ष 2018-19 में जून तिमाही तक बैंकों द्वारा कुल 225 शाखाएं खोली गयी हैं.

जमाएँ व अग्रिम: 30 सितंबर, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 12.42% के साथ कुल जमाएँ रूपये 3,75,441 करोड़ तथा कुल अग्रिम वर्ष दर वर्ष वृद्धि 17.27% के साथ कुल ऋण रूपये 2,93,901 करोड़ रहे हैं. जमाओं में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों की वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः

11.14%, 15.28% एवं12.45% रही तथा अग्रिमों में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 15.67%, 10.78% एवं एवं सहकारी बैंकों में नकारात्मक वृद्धि 18.02% रही. राज्य का साख जमा अनुपात 80.55% रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क से काफी उपर है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30सितंबर, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 11.41% के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रू 1,96,156 करोड़ रहा है.

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 सितंबर, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 6.00% के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 99,437 करोड़ रहा है. सहकारी बैंकों की कृषि ऋणों में नकारात्मक वर्ष दर वर्ष वृद्धि 18.86% रहने के कारण राज्य में कृषि ऋणों में वृद्धि आशानुरूप नहीं रही है.

सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण: 30सितंबर, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 17.59% के साथ सूक्ष्म व लघु उपक्रम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 96,720 करोड़ रहा है.

कमजोर वर्ग को ऋण: 30सितंबर, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 10.58% के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 63,178 करोड़ रहा है.

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 30सितंबर, 2018 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 10.43% के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण रूपये 13,787 करोड़ रहा है.

राज्य में **कुल अग्रिमों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** को अग्रिम 66.74%, कृषि क्षेत्र को 33.83%, कमजोर वर्ग को 21.50%, लघु एवं सूक्ष्म कृषकों को 13.83% तथा सूक्ष्म उपक्रमों को 23.66% रहा है.

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि जिला सिरोही, जिला डूंगरपुर एवं जिला राजसमंद में साख जमा अनुपात कम रहने के कारण एवं उक्त जिलों में साख जमा अनुपात बढ़ाने की कार्यवाही की प्रगति की निगरानी हेतु संबन्धित जिलों की डीसीसी बैठक नियमित रूप से आयोजित की जा रही है एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार उक्त जिलों में साख जमा अनुपात बढ़ाने के कार्य बिन्दु की अधध्यन रिपोर्ट तीनों जिलों की प्राप्त हो चुकी है लेकिन उक्त रिपोर्ट विस्तृत नहीं होने से सूचित किया.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि जिला डूंगरपुर में अनुसूचित जनजाति के लोगों की आबादी अधिक होने के कारण औद्योगिकरण कम है. जिला सिरोही में निजी सहकारी बैंक प्रभावी रूप से कार्यरत हैं.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की स्टीयरिंग समिति द्वारा इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है एवं उक्त बैठक में निर्णय लिया गया है कि उक्त जिलों में होने वाली डीसीसी की उपसमिति के द्वारा इस मुद्दे पर गहन अध्ययन कर साख जमा अनुपात में सुधार किए जाने के प्रयासों की निगरानी करें. उन्होने आगामी एसएलबीसी की बैठक में उक्त जिलों के साख जमा अनुपात बढ़ाने का मुद्दा कार्यवाही बिन्दु एवं अध्ययन रिपोर्ट के रूप में सम्मिलितकिए जाने के निर्देश प्रदान किए.

(कार्यवाही : एसएलबीसी राजस्थान एवं समस्त सदस्य बैंक)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि उक्त सभी जिलों में अनुसूचित जाति / जनजाति की आबादी अधिक है. उन्होने अध्ययन रिपोर्ट में उक्त जिलों में आधारभूत सुविधाओं में कमी, रोजगारपरक साधनों की उपलब्धि एवं संभावनाओं, औद्योगीकरण की संभावनाओं को तलाशने इत्यादि बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए जांच रिपोर्ट तैयार करवाने के निर्देश प्रदान किए. **(कार्यवाही : बैंक ऑफ बड़ौदा एवं भारतीय स्टेट बैंक)**

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को बताया एवं राजस्थान के नजदीकी राज्य हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के 30 सितंबर, 2018 के साख जमा अनुपात (CD Ratio), वार्षिक साख योजना में उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये. तुलनात्मक आंकड़ों में राजस्थान राज्य की प्रगति संतोषप्रद पायी गयी.

<u>एजेण्डा क्रमांक - 4</u>

Roadmap for coverage of villages having population above 5000 (As per census 2011)

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि 5000 से अधिक आबादी वाले बैंक रहित 171 गॉवों में से दिनांक 31.10.2018 तक 49 गॉवों में बैंक शाखाएं खोली जा चुकी हैं एवं 121 गांवों में बीसी के माध्यम से बैंकिंग आउटलेट की औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं.अब केवल 1 गांव में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए शाखा अथवा बैंकिंग आउटलेट खोला जाना बाकी है जो कि शाखा खोले जाने की व्यवहार्यता जाँचने हेतु भारतीय स्टेट बैंक को आवंटित किया गया है.

<u>Unbanked Rural Centres (URC)</u>

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में चिन्हित दिनांक 31.05.2018 तक राज्य के 895 बैंकरहित गांवों (5 किमी की परिधि में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के रोड्मेप) को विभिन्न बैंकों को आवंटित कर बैंकिंग सुविधा

उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया है. उक्त 895 बैंकरहित गांवों की सूची राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की वैबसाइट पर भी अपलोड कर दी गयी है.

उक्त 895 बैंकरहित गांवों में से 807 गांवों में बैंक मित्र (BC)के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं एवं 41 गांवों में बीसी को चयनित किया जा चुका है.47 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना शेष है.

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने शेष गांवों में जल्द ही बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने से आश्वस्त किया.

प्रतिनिधि, कोटक महिंद्रा बैंक ने बताया कि उक्त मुद्दे की सम्पूर्ण जानकारी ना होने के कारण वर्तमान प्रगति बताने में असमर्थ हैं.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के लीड बैंक स्कीम में सुधारों के दिशा-निर्देशों के अनुसार एसएलबीसी की त्रैमासिक बैठक में नीतिगत मुद्दों पर चर्चा की जाती है एवं उक्त बैठक में केवल राज्य प्रमुख द्वारा ही सहभागिता की जानी आवश्यक है. इस संबंध में कोटक महिंद्रा बैंक से कनिष्ठ अधिकारी द्वारा सहभागिता करने एवं मुद्दे की सम्पूर्ण जानकारी नहीं होने पर उन्होने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की एवं कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबन्धक निदेशक को इस प्रकरण के बारे में अवगत करवाने हेतु एसएलबीसी को निर्देशित किया

(कार्यवाही : एसएलबीसी राजस्थान)

साथ ही उन्होने बताया कि राजस्थान में वित्तीय समावेशन के तहत सभी बैंकों ने अच्छा कार्य किया है लेकिन एयू स्माल फ़ाईनेंस बैंक,इक्विटास स्माल फ़ाईनेंस बैंक,बंधन बैंक एवं कोटक महिंद्रा बैंक वित्तीय समावेशन के तहत नगण्य प्रगति पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की एवं सदन के अनुमोदन के पश्चात उक्त बैंकों को आवंटित गांवों में आगामी 15 दिवस में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रदान किए एवं आगामी 3 वर्षों का बोर्ड अनुमोदित वित्तीय समावेशन प्लान भारतीय रिजर्व बैंक एवं एसएलबीसी को प्रेषित करने के निर्देश प्रदान किए. उक्त बैंकों के प्रबंध निदेशक, को नगण्य प्रगति से अवगत करवाने के एसएलबीसी को निर्देश प्रदान किए.

(कार्यवाही : एयू स्माल फ़ाईनेंस बैंक, इक्विटास स्माल फ़ाईनेंस बैंक, बंधन बैंक एवं कोटक महिंद्रा बैंक)

साथ ही उन्होने राजस्थान सरकार से उक्त बैंकों द्वारा आवंटित गांवों में आगामी 15 दिवस में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं करवाने की दशा में उक्त बैंकों के राजस्थान के विकास में योगदान नहीं करने की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार संज्ञान में लेते हुए उक्त बैंकों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु भी अनुरोध किया.

(कार्यवाही : संस्थागत वित्त, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रतिनिधि, इक्विटास स्माल फ़ाईनेंस बैंक ने बताया कि शेष गांवों में जल्द ही बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से शीघ्र ही बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने करने का आश्वासन प्रदान किया.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि बैंकरहित गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने की प्रगति की समीक्षा वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा साप्ताहिक आधार पर की जाती है. अतः शेष रहे केन्द्रों पर जल्द से जल्द बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए समस्त सदस्य बैंकों को निर्देश प्रदान किए.

प्रतिनिधि, बंधन बैंक ने बताया कि उनके बैंक को आवंटित 3 केन्द्रों में से 1 केंद्र पर निकटतम देना बैंक शाखा कार्यरत है एवं अन्य 2 केन्द्रों पर जल्द ही बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने करने का आशावासन प्रदान किया.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि सभी बैंक रहित केंद्र बैंकों की निकटतम शाखाओं की उपलब्धता को देखते हुए आवंटित किए गए हैं एवं कई बार बैंकों की सहूलियत के अनुसार दुबारा भी आवंटन परिवर्तित किया गया है. शेष रहे बैंक रहित केन्द्रों को कवर करने का कार्य 15 दिवस के अंदर पूर्ण करने के समस्त बैंकों को पुनः निर्देश प्रदान किए.

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग (सं.वि.), राजस्थान सरकार ने बताया कि आरआईएसएल को कॉर्पोरेट बीसी के माध्यम से बैंकों को सहयोग करने के लिए तैयार है. वित्तीय समावेशन के मुद्दे को बैंकों द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

<u>ऑन-साईटए.टी.एम .स्थापना</u>

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि 30.09.2018 तक राज्य में 7757 बैंक शाखाओं के सापेक्ष 5196 ऑन-साइट एटीएम की स्थापना बैंकों द्वारा की जा चुकी है. उन्होने बीआरकेजीबी एवं आरएमजीबी आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक, डीसीबी की शाखाओं की संख्या के सापेक्ष ऑन-साइट एटीएम की संख्या अत्यधिक कम होने के कारण उनके प्रतिनिधि से इस संबंध में कार्ययोजना से अवगत करवाने का अनुरोध किया.

(समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

अध्यक्ष, बीआरकेजीबी ने बताया कि हमारे बैंक कि लगभग 150 शाखाओं में ग्राहकों का आवागमन ज्यादा है उन शाखाओं में मार्च 2019 तक नए एटीएम स्थापित करने का आश्वासन प्रदान किया

(कार्यवाही: बीआरकेजीबी)

अध्यक्ष, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने अवगत करवाया कि उनके बैंक द्वारा 100 नए एटीएम मार्च 2019 तक स्थापित किए जाने का आश्वासन प्रदान किया.

Providing Aadhaar Enrollment/ Updation facility in banks premises:

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अवगत करवाया कि यूआईडीएआई, भारत सरकार ने आधार नामांकन केन्द्रों पर आने वाली कठिनाईयों को देखते हुए समस्त बैंकों द्वारा स्थापित नामांकन केन्द्रो द्वारा नामांकन/ अद्यतन की न्यूनतम संख्या के लक्ष्य प्रादान किए गए है:-

1. 1 नवंबर 2018 से - 8 नामांकन/ अद्यतन प्रतिदिन प्रति शाखा
2. 1 जनवरी 2019 से- 12 नामांकन/ अद्यतन प्रतिदिन प्रति शाखा
3. 1 अप्रैल 2019 से- 16 नामांकन/ अद्यतन प्रतिदिन प्रति शाखा

साथ ही उन्होने समस्त बैंकों से उक्त लक्ष्य प्राप्त करने हेतु शाखाओं/ आधार नामांकन केन्द्रों को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया.

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में PMJDY के तहत 24668763 खोले गए है एवं उक्त खातों में दिनांक 30.11.2018 तक RUPAY कार्ड एक्टिवेशन 41.94% तथा आधार सीडिंग 85.93% है. साथ ही उन्होने समस्त बैंकों से 100% लक्ष्य प्राप्त करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया.

उन्होने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY,PMJJBY एवं APY के तहत दिनांक 30.11.2018 तक कुल नामांकन 69.63 लाख होने के बारे में सूचित किया जो कि 31.08.2018 में 65.63 लाख था.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान एवं महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि जिस तरह ग्राम स्वराज अभियान के फेज I एवं II के अंतर्गत Aspirational जिलों में शत प्रतिशत कवरेज़ किया गया है उसी तर्ज पर राज्य के समस्त पात्र आमजन को योजनान्तर्गत पंजीकृत करने की कार्यवाही करने हेतु समस्त शाखाओं को निर्देशित करने हेतु समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया.

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने बताया कि नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों का डेटा संग्रहित करने के लिए ई-शक्ति पोर्टल बनाया गया है जिसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजस्थान के 9 जिलों में लागू किया गया है. उक्त ई-शक्ति पोर्टल पर स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों का विवरण यथा आधार, पता, जन्म दिनांक इत्यादि उपलब्ध है. नाबार्ड द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके लिए समस्त बैंक नियंत्रकों से आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए अनुरोध किया जिससे पीएमजेडीवाई,सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बैंकों को आवंटित लक्ष्यों प्राप्त करने में भी सहायता प्राप्त होगी

अटल पेंशन योजना

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि अटल पेंशन के अंतर्गत शाखाओं की संख्या के आधार पर बैंकों को वर्गवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। राज्य में कुल 407870 नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 30.11.2018 तक उपलब्धि 33.46% रही है. लक्ष्य प्राप्ति हेतु और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता बताई.

उप सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने राजस्थान स्टेट कोपरेटिव बैंक से अटल पेंशन योजना के अंतर्गत शून्य नामांकन होने का कारण स्पष्ट करने का अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, राजस्थान स्टेट कोपरेटिव बैंक ने बताया कि तकनीकी दिक्कत की वजह से अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत नामांकन शुरू नहीं हो पाया है परंतु जल्द ही उक्त योजनांतर्गत प्रगति किए जाने से आश्वस्त किया.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि विभिन्न बैंकों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बावजूद भी राज्य में केवल एक दो बैंकों द्वारा धीमी अथवा नगण्य प्रगति से पूरे राज्य की प्रगति पर भी नकारात्मक असर पड़ता है. उन्होने राजस्थान स्टेट कोपरेटिव बैंक के साथ साथ अन्य समस्त बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति प्राप्त करने के निर्देश प्रदान किए.

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 30.11.2018 तक कुल 10161 क्लेम में से 787 क्लेम नोडल बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकार किए गए हैं एवं 917 क्लेम लंबित हैं. उन्होने लंबित क्लेम का निस्तारण त्वरित गति से करने व अतार्किक कारणों से क्लेम न लौटाए जाने हेतु नोडल बीमा कंपनी से अनुरोध किया.

उप सचिव,वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अनुरोध किया कि लंबित क्लेम की संख्या एवं लंबित समय सीमा वार सदन को अवगत करवाने के निर्देश प्रदान किए.

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने आगामी एसएलबीसी की बैठक के प्रस्तुतीकरण में लंबित क्लेम की समय सीमा भी शामिल करने का आश्वासन प्रदान किया.

एजेण्डा क्रमांक - 5

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वर्ष 2018-19 के वार्षिक साख योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) राशि रू 1,63,060 करोड़ के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में सितंबर तिमाही तक की

उपलब्धि 44.23% रही है. कृषि में 36.56%, सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्र में 83.52% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 22.60% की उपलब्धि दर्ज की गई है.

साथ ही उन्होने बताया कि वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 के निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष सितंबर तिमाही में वाणिज्यिक बैंकों ने 47.53%, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 43.49%, को-ऑपरेटिव बैंक ने 27.61% तथा स्माल फ़ाइनेंस बैंकों ने 621.52% की उपलब्धि दर्ज की है.

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, आईडीबीआई, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक एवं यूनाईटेड बैंक की वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति 25% से कम रहने से सूचित किया है. उन्होने उक्त बैंकों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे कम प्रगति रहने के कारण एवं शत -प्रतिशत लक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्ययोजना से सदन को अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि पिछली दोनों तिमाही में उनके बैंक का प्रदर्शन कमजोर रहा है परंतु तीसरी तिमाही में बैंक द्वारा अच्छी प्रगति की उम्मीद है. बैंक द्वारा 'विशेष अभियान एसबीआई की पाठशाला' एवं विभिन्न कैंपों के माध्यम से बैंक शाखा कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है जिससे आगामी तिमाही में वार्षिक साख योजना के अंतर्गत अच्छा प्रदर्शन किया जा सके.

प्रतिनिधि, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने विशेष कैंप आयोजित कर आगामी तिमाही में लक्ष्य प्राप्त कर लेने हेतु आश्वासन दिया.

प्रतिनिधि, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने विशेष कैंप आयोजित कर आगामी तिमाही में लक्ष्य प्राप्त कर लेने हेतु आश्वासन दिया.

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि कुल कृषि ऋणों में सावधिक ऋणों (Term Loan) के अंतर्गत बहुत कम ऋण वितरण किया गया है, जिसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है. साथ ही बताया कि किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए फसल को उचित दाम पर बेचा जाना चाहिए जिसके लिए पराक्राम्य गोदाम रसीद के पेटे ऋण (Negotiable Warehouse Receipt) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. उन्होने अनुरोध किया कि एसएलबीसी की उपसमिति- कृषि में लिए पराक्राम्य गोदाम रसीद के पेटे ऋण देने में आने वाली दिक्कतों पर चर्चा कर उक्त योजनांतर्गत किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करें.

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राजस्थान के नजदीकी राज्य हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के 30 सितंबर, 2018 के कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये. तुलनात्मक आंकड़ों में राजस्थान राज्य की प्रगति संतोषप्रद एवं अन्य राज्यों से बेहतर पायी गयी.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एनआरएलएम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के भारत सरकार द्वारा आवंटित 66274 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज करने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 30.11.2018 तक 26788 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज किया गया है जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 40.42% उपलब्धि है.

राज्य परियोजना प्रबन्धक, राजीविका, राजस्थान सरकार ने बताया कि उनके विभाग द्वारा दिसंबर माह में क्रेडिट कैंप आयोजित करवाए गए हैं जिसमें लगभग 10,000 आवेदन पत्र प्रायोजित कर बैंक शाखाओं को प्रेषीत किए गए लेकिन उक्त आवेदनों पत्रों में से केवल 4000 आवेदनों का बैंक द्वारा क्रेडिट लिंकेज किया गया है. इस संबंध में उन्होने बैंकों यथा भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, इलाहबाद बैंक, यूको बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से और अधिक सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया. उन्होने विशेष रूप से भारतीय स्टेट बैंक का नाम लेते हुए बताया कि एसबीआई की बैंक शाखाओं से सहयोग नहीं मिल पाने के कारण काफ़ी मात्रा में आवेदन लंबित हैं, जिनका शीघ्र निबटान करने हेतु अनुरोध किया.

साथ ही उन्होने बताया कि उनके विभाग द्वारा फरवरी माह में एसएचजी क्रेडिट कैंप आयोजित किए जाने प्रस्तावित है जिसके लिए एसएलबीसी से सहयोग हेतु अनुरोध किया एवं समस्त बैंक शाखाओं को बढ़-चढ़ कर सहभागिता करने के लिए निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया ताकि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके. साथ ही बताया कि एसएचजी को वितरित किए गए ऋण की औसत राशि बहुत ही कम है जिसके लिए समस्त बैंक नियंत्रकों से इस मामले में निगरानी रखने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : सदस्य बैंक)

उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि सभी शाखाओं को लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एसएचजी के बचत बैंक खातों के सापेक्ष एसएचजी के क्रेडिट लिंकेज बहुत कम होने पर एवं कम औसत ऋण राशि वितरण पर चिंता व्यक्त की. उन्होने राजीविका अधिकारियों को एसएलबीसी के साथ बैठकर भविष्य की कार्ययोजना बनाने एवं लक्ष्य प्राप्ति में आ रही परेशानियों को दूर करने की कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए.

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने प्रतिनिधि, राजीविका से अनुरोध किया कि एसएलबीसी के साथ बैठक कर सभी मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाये जिससे एसएलबीसी के स्तर से सभी बैंकों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए जा सकें.

स्वयं सहायता समूह (SHG)

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वर्ष सितंबर 2018 तक 278329 एसएचजी के बचत खाते खोले गए है एवं 69422 एसएचजी को राशि रू 471 करोड़ ऋण बकाया है.

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)

वरिष्ठ प्रबन्धक,राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया किवित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत दिनांक 30.11.2018 तक एनयूएलएम योजना के तहत 11368 के लक्ष्य है जिसमें से 9500 व्यक्तियों को, 350 समूहों एवं 1515 स्वयं सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत करने के लक्ष्य है. उक्त लक्ष्यों के सापेक्ष 3227 की उपलब्धि है जो कि 33.96 % उपलब्धि रही है.

राज्य परियोजना प्रबन्धक, डे-एनयूएलएम, राजस्थान सरकार ने बताया कि मुख्य समस्या बैंको के स्तर पर लंबित आवेदनों के निस्तारण की है. उन्होने सभी बैंकों में विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक से अनुरोध किया कि लंबित आवेदनों के निस्तारण हेतु सहयोग प्रदान करें. साथ ही बताया कि लंबित आवेदनों के डेटा का मिलान भारतीय स्टेट बैंक के डेटा से करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. जल्द ही उक्त डेटा को reconcile कर लिया जावेगा.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की स्टियरिंग समिति की पिछली बैठक में हुई चर्चा के अनुसार स्वयं सहायता समूह को न्यूनतम रु 10 लाख के ऋण प्रदान करने की स्थिति में उक्त एसएचजी द्वारा परिसंपत्ति सृजित (asset creation) किया जाना आवश्यक होने का सुझाव सदन के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया.

जिस पर सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने सहमति जताई एवं उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया.

(कार्यवाही : राजीविका, राजस्थान सरकार, नाबार्ड एवं सदस्य बैंक)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP)

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वर्ष 2018-19 के पीएमईजीपी के तहत राज्य में मार्जिन के लक्ष्य राशि रू 77.43 करोड़ के सापेक्ष राशि रू 17.67 करोड़ की मार्जिन मनी के ऋणों की बैंकों द्वारा जारी की है, जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 42.73% (ऋण पर मार्जिन मनी स्वीकृति) उपलब्धि है.

प्रतिनिधि, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार ने बताया कि वर्ष 2018-19 के दौरान कुछ बैंकों की लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति बहुत अच्छी रही है यथा पंजाब एंड सिंध बैंक (120%), बैंक ऑफ बड़ौदा (105%), इंडियन बैंक (95%) एवं विजया बैंक (95%). उन्होने उक्त बैंकों को पीएमईजीपी योजनांतर्गत बहुत अच्छा सहयोग प्रदान करने पर बधाई दी. साथ ही बताया कि कुछ बैंकों की लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति 60% से 80% के बीच रही है यथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक

एवं पंजाब नेशनल बैंक इत्यादि उन्होने उक्त बैंकों से वर्ष की आखिरी तिमाही में लक्ष्य प्राप्ति हेतु अधिकाधिक प्रयास करने का अनुरोध किया.

उन्होने बताया कि राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति केवल 15% रही है एवं 80% से भी अधिक आवेदन अस्वीकार कर लौटा दिए गए हैं.

अध्यक्ष, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने उक्त योजनांतर्गत लक्ष्य प्राप्ति करने का आश्वासन प्रदान किया.

अध्यक्ष, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने माह फरवरी एवं मार्च में योजनांतर्गत लक्ष्य प्राप्ति हेतु आश्वासन दिया. साथ ही उन्होने उनके बैंक से संबन्धित समस्त मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिनिधि, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार को प्रधान कार्यालय में बैठक हेतु आमंत्रित किया.

कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं है वहाँ पर बैंक द्वारा रोजगार के अवसरों की निष्पक्ष रूप से जांच करते हुए ऋण स्वीकृत किया जाना चाहिए एवं अनुरोध किया कि रु 10.00 लाख से ऊपर के एससी/एसटी एवं महिला के आवेदन स्टैंड अप इंडिया योजना में समम्मिलित करने हेतु सदय बैंकों को निर्देशित किया.

(कार्यवाही : सदस्य बैंक)

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि पिछली एसएलबीसी बैठक में उप निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि बैंकों द्वारा 21% आवेदन 'अन्य कारणों' का हवाला देकर अस्वीकृत कर दिये गए जो कि तर्कसंगत नहीं है. इस संबंध में दिनांक 12.12.2018 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की स्टीयरिंग समिति की बैठक में आवेदनों का गुणवत्ता स्तर जांच कर एवं व्यक्तिगत वार्ता कर ही आवेदन को प्रायोजित कर बैंक शाखाओं को प्रेषित करने एवं टास्क फोर्स समिति में बैंकों के प्रतिनिधि के रूप में अग्रणी जिला प्रबन्धक के साथ जिले के एक वरिष्ठ बैंकर को विशेष आमंत्रिती (Special Invitee) के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया. इस क्रम में राज्य निदेशक, केवीआईसी, जयपुर द्वारा भी आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सरकार को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है.

प्रतिनिधि, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि उनके विभाग द्वारा समस्त टास्क फोर्स समिति की बैठक में अग्रणी जिला प्रबन्धक के साथ जिले के एक वरिष्ठ बैंकर को विशेष आमंत्रिती (Special Invitee) के रूप में आमंत्रित करने के निर्देश समस्त जिलों के जिला उद्योग केंद्र को प्रेषित किए जा चुके हैं.

Special Central Assistance Scheme SC/ST

वरिष्ठ प्रबन्धक,राज्य स्तरीय बैंकर्स समितिने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के एससी/एसटी पॉप योजना के तहत 24850 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 30.11.2018 तक मात्र 1595 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 6.42% उपलब्धि है.

उन्होने महाप्रबंधक, राजस्थान अनुजा निगम लि॰ से अनुरोध किया कि एसटी पॉप योजना के अंतर्गत मिलने वाली अनुदान राशि बंद किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश एसएलबीसी को प्रेषित किए जाएँ जिससे बैंकों को इस संबंध में अवगत करवाया जा सके.

साथ ही सूचित किया कि योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी गरीबी अनुमान 2011-12 के आधार पर राजस्थान राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में राशि रु 20,000/- से बढ़ाकर 54,300/- वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र में राशि रु 21,400/- से बढ़ाकर रु 60,120/- वार्षिक निर्धारित की गयी है.

महाप्रबंधक, राजस्थान अनुजा निगम लि॰ ने बताया कि उनके विभाग द्वारा शाखावार लक्ष्यों की लंबित आवेदन पत्रों की सूची सभी शाखाओं को प्रेषित कर दी गयी है. उन्होने समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि योजनांतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शाखाओं को निर्देशित करें. साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत आवेदन पत्रों को भी एससी/एसटी पॉप के तहत शामिल कर सकते है.

<u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)</u>

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के आवंटित लक्ष्यों रू 8469.91 करोड़ के सापेक्ष 30.11.18 तक राशि रू 4051.62 करोड़ के ऋण बैंकों ने वितरित कर दिये हैं, जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि 47.84% है. उन्होने समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि योजनांतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शाखाओं को निर्देशित करें.

<u>भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY)</u>

वरिष्ठ प्रबन्धक,राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY) के अंतर्गत राज्य की 11000 ईकाईयों को वित्तपोषण करने के लक्ष्य रखे गए हैं एवं दिनांक 30.11.2018 तक बैंक शाखाओं द्वारा 6309 आवेदन पत्रों में ऋण स्वीकृति (पीएमएमवाई सहित) की कार्यवाही की गई है तथा लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 57.35% रही है.

प्रतिनिधि, उद्योग विभाग, राज्य सरकार ने 2018-19 में भामाशाह रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऋण आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों में लंबित है मुख्यतः पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक

ऑफ बड़ौदा एवं अन्य बैंकों से अनुरोध किया कि लंबित आवेदनों के निस्तारण हेतु समस्त शाखाओं को निर्देशित करें.

(कार्यवाही : सदस्य बैंक)

वरिष्ठ प्रबन्धक,राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने प्रतिनिधि, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि उक्त योजनांतर्गत लंबित आवेदनों की सूचना एक्सेल शीट में एसएलबीसी को उपलब्ध करवाएँ जिससे सभी बैंकों को उक्त सूची प्रेषित कर लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करवाने की कार्यवाही कर सकें.

(कार्यवाही : आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>स्टेण्ड अप-इण्डिया (SUI)</u>

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि स्टेण्ड अप-इण्डिया योजनान्तर्गत 2 व्यक्तियों प्रति शाखा के मद्देनजर राज्य के बैंकों को आवंटित 13708 इकाइयों के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में दिनांक 30.11.2018 तक केवल 409 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है एवं संचयी (Cumulative) 3472 उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है जो कि केवल 25.33% है.

साथ ही उन्होने बताया कि दिनांक 03.12.2018 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की उपसमिति (एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन) की बैठक में स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत शाखाओं को आवंटित लक्ष्यों को मार्च 2019 तक किसी भी हाल में प्राप्त करने हेतु समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया है.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि स्टेण्ड अप-इण्डिया योजना की समय सीमा मार्च 2019 तक होने के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिकाधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है. इस योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान राज्य की प्रगति कम रही है. उन्होने बैंकों से आग्रह किया कि उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाएं एवं समस्त शाखाओं को लक्ष्य प्राप्ती हेतु निर्देशित करें.

(कार्यवाही : सदस्य बैंक)

<u>MSME- Support & Outreach Campaign</u>

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 02.11.2018 से एमएसएमई उद्यमियों के लिए पूरे भारत वर्ष में 100 जिलों में सपोर्ट एवं आउटरीच अभियान चलाया जा रहा है. एमएसएमई क्षेत्र को सहयोग प्रदान करने के लिए 12 सूत्री अभियान का अनावरण किया गया है, जिसके अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र के 5 पहलुओं यथा ऋण सुविधा तक पहुँच, बाजार तक पहुँच, प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यवसाय करने में आसानी एवं कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना

पर ज़ोर दिया गया है. उक्त अभियान का उद्देश्य है कि विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, उधारदाताओं और निजी क्षेत्र को एक साथ लाकर सरकार के प्रयासों को समन्वित किया जा सके.

राजस्थान के 7 जिलों में 8 क्लस्टर यथा अजमेर व किशनगढ़, अलवर, बीकानेर, जयपुर, राजसमंद, सीकर एवं जोधपुर शामिल किए गए हैं. वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार उक्त जिलों एवं किशनगढ़ शहर में कैंप आयोजित करवाकर उक्त अभियान का प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिससे अधिकाधिक लोगों को लाभ मिल सके.

उप सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया कि एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उक्त अभियान चलाया जा रहा है. उन्होने '59 मिनट में पीएसबी ऋण' के बारे में बताते हुए कहा कि इस पोर्टल के द्वारा डेटा के सत्यापन के काम में लगने वाला समय काफी कम रह गया है जिससे एमएसएमई उदमियों को केवल 59 मिनिट में इन-प्रिंसिपल ऋण की स्वीकृति प्राप्त हो सकती है. परंतु कुछ प्रकरणों एवं कुछ स्थानों पर ऋण स्वीकृति मिलने के बाद ऋण वितरण में काफी समय लग रहा है. उन्होने अनुरोध किया कि उक्त समस्या का निस्तारण किया जाये एवं अवगत करवाया कि सीकर तथा राजसमंद में काफी कम ऋण स्वीकृत किए गए हैं एवं शीघ्र ऋण वितरण कर उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु समस्त बैंक नियंत्रकों को निर्देश प्रदान किए.

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में विधानसभा चुनाव की वजह से उक्त अभियान की शुरुआत धीमी रही है परंतु अब कैंप लगाकर अभियान को सफल बनाने के प्रयासों में तेजी लायी जा रही है. पुनर्गठित (Restructure) किए गए खातों की संख्या काफी कम है. उन्होने बताया कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एमएसएमई के ऋणों के आस्ति वर्गीकरण में बदलाव किए बिना पुनर्गठन किए जाने की अनुमति प्रदान करने के बाद एमएसएमई ऋण खातों का पुनर्गठन कर व्यवसाइयों को लाभान्वित तेजी आने की उम्मीद जताई.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि ODOP (One District One Product) के फॉर्मूले को अपनाते हुए राज्य में 8 क्लस्टर के आधार पर जिले चिन्हित किए गए हैं. हमारा लक्ष्य क्लस्टर वार उक्त जिलों के उद्योगों को अधिकाधिक एमएसएमई ऋण सुविधा प्रदान करने का है, जिसकी प्रगति अग्रणी जिला प्रबन्धक द्वारा पोर्टल (msmesupport.gov.in) पर दैनिक आधार पर अथवा प्रत्येक कैंप के बाद अद्यतित की जानी है. इस संबंध में उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त 7 जिलों में नियमित रूप से कैंप आयोजित कर अभियान सफल बनाएं.

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बैंकों की सराहना करते हुए बताया कि उक्त अभियान के अंतर्गत वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एमएसएमई ऋण प्रदान करने का 1,87,347 इकाइयों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्रदान किया गया है जिसके सापेक्ष मुद्रा योजना के तहत बैंकों द्वारा 1,39,390 ऋण प्रदान किए जा चुके है.

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)</u>

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में सितंबर 2018 तक 7891 इकाइयों को राशि रू 94.18करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाने से अवगत करवाया है एवं बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर हुड़को (HUDCO) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में सितंबर 2018 तक 1518 इकाइयों को 13.62करोड़ रू का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया है. उन्होने बताया कि राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में सितंबर 2018 तक केवल 1518 इकाइयों को राशि रू 27.09 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है.

साथ ही बैंकों से प्राप्त डेटा एवं एनएचबी द्वारा प्रेषित डेटा में विचलन का कारण बताया कि जिन खातों में सब्सिडी की राशि जमा की जा चुकी है वही खाते एनएचबी द्वारा डेटा में शामिल किए जाते हैं जबकि बैंकों द्वारा वे खाते भी डेटा में शामिल कर लिए जाते हैं जिनके लिए सब्सिडी क्लेम कर दी गयी है परंतु खाते में जमा होना लंबित है.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि एनएचबी एवं हुड़को से क्लेम के लिए लंबित आवेदनों एवं क्लेम स्वीकृत के आकडे लेकर योजनांतर्गत प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश प्रदान किए.

(कार्यवाही : एनएचबी एवं हुड़को)

वरिष्ठ प्रबन्धक,राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत MIG-I एवं MIG-II के मकानों के कार्पेट एरिया में बदलाव कर क्रमशः 120 वर्गमीटर एवं 150 वर्गमीटर से बढ़ाकर 150 वर्गमीटर एवं 200 वर्गमीटर कर दिया गया है एवं उक्त बदलाव दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी होंगे.

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - खरीफ़ 2018</u>

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने दिनांक 16.11.2018 को आयोजित कृषि संबंधी योजनाओं पर एसएलबीसी राजस्थान की उप समिति की बैठक में उठाये गए मुद्दे सदन के समक्ष प्रस्तुत किए:-

- बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर इत्यादि जिलों से जुड़े 147 गांवों का विवरण राष्ट्रीय पीएमएफबीवाई पोर्टल पर अद्यतन नहीं किया गया है, जिसके कारण बैंक शाखायें पोर्टल पर पात्र किसानों के आकडे को अपलोड करने में असमर्थ हैं.

- कुछ शाखाओं ने खरीफ 2018 के लिए संबन्धित जिलें की मनोनीत कंपनियों के अलावा बीमा कंपनियों को फसल बीमा प्रीमियम राशि प्रेषित की है एवं कुछ शाखाओं ने अधिसूचित तारीख के बाद बीमा कंपनियों को फसल बीमा प्रीमियम राशि प्रेषित की है. इस संबंध में कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा बीमा कंपनियों को दिनांक 03.08.2018 तक किसानों के खाते से कटौती की गयी प्रीमियम राशि स्वीकार करने के निर्देश दिये गए हैं परंतु बीमा कंपनियों द्वारा उक्त राशि स्वीकार नहीं की जा रही है.
- खरीफ 2018 फसल बीमा योजना के तहत पात्र कई किसानों के पास आधार कार्ड नहीं है. इसके अतिरिक्त बैंक शाखाएं सही आधार संख्या उपलब्ध होने के बावजूद भी पोर्टल पर कुछ पात्र किसानों का डेटा अपलोड करने में समर्थ नहीं हो पा रही है.
- फसल बीमा कंपनियों से अनुरोध किया कि खरीफ 2018 तक के सेवा प्रभार का भुगतान सीधे बैंक के अंचल कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय को जल्द से जल्द करें.

उन्होने कृषि विभाग, राज्य सरकार से उपर्युक्त मुद्दों की वर्तमान स्थिति से सदन को अवगत करवाने का अनुरोध किया.

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि एसएलबीसी की बैठक एवं एसएलबीसी की विभिन्न उपसमिति की बैठकों में कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा लंबे समय से सहभागिता नहीं की जा रही है, जो कि अनुचित है. जिस पर उन्होने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. इस कारण राज्य के कृषि से संबन्धित मुद्दों पर नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं एवं विभिन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत तकनीकी खामियों की वजह से किसान के खाते से प्रीमियम राशि काटे जाने के बावजूद किसान बीमा योजना के फायदे से वंचित है. उन्होने बताया कि राज्य सरकार एवं बीमा कंपनियों की ज़िम्मेदारी है कि उक्त खामियों को दूर करें एवं किसानों को योजना का पूरा लाभ मिले. उन्होने यह भी बताया कि पीएमएफ़बीवाई की पूर्ण जानकारी आमजन में उपलब्ध करवाने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार एवं फसल बीमा कंपनियों की है.

उन्होने एसएलबीसी की त्रैमासिक बैठक एवं एसएलबीसी की विभिन्न उपसमिति की बैठकों में सक्षम स्तर से सहभागिता नहीं करने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की एवं उन्होने बताया दिनांक 06.08.2018 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की स्टियरिंग समिति की बैठक हुए निर्णयानुसार एसएलबीसी की त्रैमासिक बैठक में बैंकों से राज्य प्रमुख एवं राजस्थान सरकार से राज्य प्रमुख अथवा शासन सचिव/आयुक्त स्तर के अधिकारियों की सहभागिता किया जाना आवश्यक है. एसएलबीसी की उप समिति बैठक में बैंकों से सहायक महाप्रबंधक एवं राजस्थान सरकार से संयुक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारियों की सहभागिता किया जाना आवश्यक है.

(कार्यवाही : सदस्य बैंक एवं राजस्थान सरकार के समस्त संबन्धित विभाग)

अध्यक्ष, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने बताया कि तकनीकी समस्या या कनेक्टिविटी की समस्या की वजह से प्रीमियम राशि शाखा द्वारा कट ऑफ तारीख से 1-2 दिन बाद बीमा कंपनी को जमा कराने पर उक्त राशि कंपनी द्वारा स्वीकार भी कर ली जाती है एवं पॉलिसी भी जारी कर दी जाती है परंतु क्लेम देने के समय बीमा कंपनी द्वारा मना कर दिया जाता है इस तरह मामलों में राज्य सरकार के संज्ञान में लाने हेतु कृषि विभाग से अनुरोध किया.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा बैठक में सहभागिता नहीं पर चिंता व्यक्त की एवं एसएलबीसी द्वारा कृषि विभाग के साथ अलग से बैठक कर उक्त मुद्दों पर चर्चा करने हेतु आश्वासन प्रदान किया.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि जिन किसानों ने आधार कार्ड बनवाया ही नहीं है उनका आधार कार्ड बैंक खाते से नहीं जोड़ा जा सका है. साथ ही उन्होने महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक की बात का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनियों एवं बैंकों के साथ मिलकर उक्त मुद्दों का समाधान किया जाना अति आवश्यक है.

उन्होने बताया कि कृषि विभाग, राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनियों को निर्देशित किया जाना चाहिए कि जिन किसानों के पास आधार कार्ड नहीं हैं उनका डेटा ऑफलाइन मोड से बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकार कर किसानों का बीमा किया जाये. उन्होने अनुरोध किया कि फसल बीमा योजना में आने वाली समस्त तकनीकी खामियों को कृषि विभाग के समक्ष प्रस्तुत करें जिससे उनका समाधान किया जा सके.

(कार्यवाही : कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>शिक्षा ऋण (Education Loan)</u>

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में सितंबर तिमाही तक राज्य में 7163 छात्रों को राशि रू 244.77 करोड़ के शैक्षिक ऋण उपलब्ध करवाए गए हैं जिनमें कुल 52216 छात्रों पर बकाया राशि रू 1794.46 करोड़ है एवं एनपीए 4.70% होने से अवगत करवाया.

<u>एफ़पीओ (FPO)</u>

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि राज्य में कृषि ऋण को बढ़ावा देने हेतु एफ़पीओ महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर रहा है जिसका लाभ लेकर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत दीर्घ कालीन कृषि ऋण को भी बढ़ाया जा सकता है. नाबार्ड द्वारा 137 एफ़पीओ को कंपनी एक्ट में पंजीकृत है. कृषि विभाग द्वारा 40 एफ़पीओ बनाए गए हैं. उन्होने समस्त बैंकों के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे शाखा स्तर पर अधिकारियों को एफ़पीओ को वित्तपोषित करने के लिए जागरूक करें जिसके लिए जिला एवं राज्य स्तर पर नाबार्ड की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राजस्थान राज्य के लिए एफ़पीओ को वित्तपोषण किया जाना नयी अवधारणा है. शाखा स्तर पर एफ़पीओ के संबंध में जाकारी का अभाव है. उन्होने समस्त बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया कि वे शाखा स्तर पर अधिकारियों को एफ़पीओ को वित्तपोषित करने के लिए प्रोत्साहित करें.

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एफ़पीओ को लाइसेंस देने एवं मंडी में स्थान उपलब्ध करवाने की कार्यवाही कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर पर प्रतीक्षित है.

एजेंडा क्रमांक- 6

CD Ratio, Review of Districts with CD Ratio below 40% and working of special Sub-Committee of DCC (SCC)

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि साख जमा अनुपात 100% से अधिक 5 जिलों में, 71%-100% 16 जिलों में, 61%-70% 4 जिलों में, 51%-60% 5 जिलों में, 41%-50% 1 जिले में एवं 40% से कम 2 जिलों है.

जिला डूंगरपुर का साख जमा अनुपात 40% से भी कम है. अग्रणी जिला प्रबन्धक, जिला डूंगरपुर द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक डीएलआरसी / डीसीसी बैठक में इस एजेंडे की समीक्षा की जा रही है. डूंगरपुर एवं सिरोही जिलें में साख जमा अनुपात बढ़ाने के लिए विशेष उप-समिति की बैठक भी नियमित रूप से आयोजित की जा रही है.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राजस्थान की स्टीयरिंग कमेटी बैठक में तीन जिलों डूंगरपुर (35.21%), राजसमंद (48.35%) और सिरोही (37.67%) में साख जमा अनुपात बढ़ाने की संभावना तलाशने के लिए अध्ययन करने का सुझाव दिया गया है.

Agency wise Sector wise NPA Position as on 30.09.2018

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में सितंबर तिमाही तक कुल अग्रिम राशि रू 293901 करोड़ है तथा कुल एनपीए राशि रू 11111 करोड़ है जो कि कुल अग्रिम का 3.78% है. कृषि क्षेत्र में एनपीए 5.77%, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 3.42%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 1.73% एवं कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 4.38% है.

Comparison chart to NPA

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत जून 2018 में कुल एनपीए 3.78% था जो कि सितंबर 2018 में भी 3.78% है. जून 2018 में कुल कृषि ऋण एनपीए 5.97% था जो कि सितंबर 2018 में 5.77% है.

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि सहकारी बैंकों में ऋण माफी के बावजूद अन्य बैंकों की एनपीए रिकवरी पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाई दिया है.

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि अन्य बैंकों के कृषि ऋण खातों की अतिदेय राशि में इजाफा हुआ है.

<u>सरफेसी एक्ट, 2002, राको रोड़ा एवं वसूली</u>

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कुल 336 मामले राशि रू 193 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 233 मामले 60 दिन से अधिक से लंबित हैं. उन्होने प्रतिनिधि, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से वर्तमान स्थिति से अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु जिला कलक्टरों को निर्देशित कर दिया जाएगा.

(कार्यवाही : राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि सरफेसी एक्ट के अंतर्गत लंबित मामलों की समय सीमा के साथ बैंकवार एवं जिलेवार सूची उपलब्ध करवाई जाये जिससे मुख्य सचिव से अनुरोध कर समस्त जिला कलक्टरों को लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया जा सके.

साथ ही अवगत करवाया कि उक्त एक्ट के तहत 30 दिन में कार्यवाही हो जानी चाहिए लेकिन किसी भी स्थिति में यह 60 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एवं कुछ मामलों में निर्णय पर जिला कलक्टर द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते है. हस्ताक्षर करने की पावर निचले स्तर के अधिकारियों को delegate कर दी जाती है एवं उक्त मुद्दों को कोर्ट में चुनौती दी जाती है. इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय व्यय हो जाता है. उक्त मामलों में राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

उन्होने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि उक्त मुद्दों का समाधान करने के लिए राजस्व विभाग से चर्चा कर शीघ्र ही एक बैठक आयोजित करें.

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि एनपीए रिकवरी की उपसमिति की बैठक जल्द से जल्द आयोजित करवाई जाये, जिससे उक्त मुद्दों पर चर्चा की जा सके.

उप सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के कई प्रकरणों में निर्णय दिया गया है कि जिला कलक्टर को सरफेसी एक्ट के प्रावधानों के तहत मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा 30 दिन अथवा अधिकतम 60 दिन में किया जाना आवश्यक है.

साथ ही उन्होने बताया कि राजस्थान में साख जमा अनुपात बहुत अच्छा है एवं साख का पर्यावरण (Credit Environment) बनाए रखने के लिए सरफेसी एक्ट में वसूली भी प्रभावी रूप से जारी रहे जिससे बैंक अधिक से अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित हो सकें.

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि कुछ जिलों में (जैसे जयपुर में 100 से अधिक) सरफेसी एवं राको रोड़ा के मामले जिला मजिस्ट्रेट के स्तर पर काफी समय से लंबित हैं जबकि एनपीए रिकवरी के लिए भारत सरकार एवं आरबीआई द्वारा अत्यधिक ज़ोर दिया जा रहा है. सरफेसी एवं राको रोड़ा के अंतर्गत लंबित मामलों के शीघ्र निबटान हेतु राज्य सरकार के साथ मिलकर एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए एवं संबन्धित जिला कलक्टर एवं तहसीलदार को मामलों की सूची प्रेषित कर उनका निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए.

साथ ही उन्होने अनुरोध किया कि केंद्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत दिये गए ऋणों को राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1952 में शामिल किया जाये ताकि बैंकों की वसूली में सुधार हो सके तथा आगे नये ऋण देने में उन्हे प्रोत्साहन मिल सकें.

(कार्यवाही : राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार ने उक्त समस्त मुद्दो पर कार्यवाही करने एवं बैंको से संबन्धित मुद्दो पर चर्चा करने हेतु शीघ्र बैठक आयोजित करने का आश्वासन प्रदान किया.

एजेंडा क्रमांक- 7

दिनांक 05.09.2018 को आयोजित कृषि संबंधी योजनाओं पर एसएलबीसी राजस्थान की उप-समिति की बैठक में उठाए गए मुद्दे निम्नानुसार हैं-

<u>Strengthening of Negotiable Warehouse Receipts (NWRs) by WDRA</u>:

- राज्य के कुछ जिलों यथा जिला बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूँगरपुर, जैसलमेर, जालोर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर में Negotiable Warehouse Receipts (NWR) के पेटे किसानों को ऋण उपलब्ध करवाने की योजना के अंतर्गत दिनांक 30.09.2018 तक शून्य वित्तपोषण

सूचित किया गया है. उन्होंने इन जिलों में वित्त पोषण शुरू करने की संभावना तलाशने के लिए सभी नियंत्रकों, सदस्य बैंकों से अनुरोध किया.

- Negotiable Warehouse Receipts (NWR) के पेटे किसानों को ऋण उपलब्ध करवाने के आकडे कुछ बैंकों को छोड़कर अन्य बैंक जानकारी 'शून्य' उपलब्ध करा रहे हैं. उन्होने समस्त नियंत्रकों, सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि Negotiable Warehouse Receipts (NWR) के पेटे किसानों को ऋण उपलब्ध के आकड़े एसएलबीसी को उपलब्ध करवाएँ.

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक)

एजेंडा क्रमांक- 8

<u>ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)</u>

राज्य निदेशक, आरसेटी ने बताया कि राज्य में कार्यरत 35 आरसेटी द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है. दिनांक 30.09.2018 तक कुल व्यवस्थापन दर 76.93% रहने से सूचित किया. उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि आरसेटी से प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों का अधिक से अधिक क्रेडिट लिंकेज किया जाये एवं भूमि आवंटन के लिए लंबित मामलों का भी शीघ्र निस्तारण हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया जिससे अधिक से अधिक जरूरतमन्द उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके.

<u>R-SETI Building Construction</u>

सवाई माधोपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा) : वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि यू.आई.टी. सवाईमाधोपुर ने आरसेटी, सवाईमाधोपुर के लिए ग्राम जटवाड़ा खुर्द में 2500 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की है. संभागीय आयुक्त, भरतपुर की अध्यक्षता में दिनांक 29.08.2018 को आयोजित बैठक में उक्त भूमि के निशुल्क आवंटन हेतु अनुशंसा की गयी तत्पश्चात सचिव, नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर ने पत्रांक प.3(30) नविन्सा /भू.आ.वं/2017/294 दिनांक 31.08.2018 के माध्यम से निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु संयुक्त शासन सचिव (तृतीय), नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया है. उक्त प्रकरण संयुक्त शासन सचिव (तृतीय), नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है.

(कार्यवाही : नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

अलवर (पंजाब नेशनल बैंक) : वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक के प्रधान कार्यालय ने सूचित किया है कि 1 एकड़ से कम जमीन आवंटन तथा प्रोजेक्ट व्यवहार्य नहीं होने के चलते बैंक की 30वीं बोर्ड मीटिंग में आर-सेटी, अलवर केंद्र हेतु भवन निर्माण प्रस्ताव का समर्पण करने का निर्णय लिया गया है. उक्त आरसेटी के लिए निशुल्क भूमि आवंटन हेतु ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध है.

जैसलमेर (भारतीय स्टेट बैंक) : वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि संयुक्त शासन सचिव तृतीय, राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग से प्राप्त पत्र क्र.प.2(5)नविवि/जैसलमेर/2017 दिनांक 02.04.2018 के अनुसार आरसेटी जैसलमेर के भवन निर्माण हेतु नगर विकास न्यास जैसलमेर की अमर शहीद सागरमल गोपा आवासीय योजना में ओ.सी.एफ. हेतु आरक्षित 2937 वर्ग गज भूमि निःशुल्क आवंटन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, परंतु नगर विकास न्यास, जैसलमेर द्वारा आरसेटी जैसलमेर के पक्ष में भूमि आवंटन पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है. नगर विकास न्यास, जैसलमेर के स्तर से भूमि आवंटन प्रक्रिया लंबित है. उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से नगर विकास न्यास, जैसलमेर को समुचित दिशा-निर्देश प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

जालौर (भारतीय स्टेट बैंक) : प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि आरसेटी जालौर को भवन निर्माण हेतु ज़िलाधीश महोदय, जालोर के आदेश क्रमांक/एफ12(3) (5)सार्व/राजस्व/12/88/ दिनांक 08.01.2016 के द्वारा भूमि आवंटन किया गया था. तत्पश्चात दिनांक 23.02.2016 को कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया था. दिनांक 29.03.2016 को पट्टा जारी होकर, 01.04.2016 को पंजीयन भी करवा दिया गया था. इसके पश्चात 21.07.2016 को श्री मुकेश सुनदेशा ने उक्त आवंटन आदेश के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष उक्त भूमि पर अपना हक जताते हुए अपील दायर कर दी. तब से आज तक 9 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी तक लंबित है. आरसेटी के भूमि विवादित होने के कारण आरसेटी भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है. इस संदर्भ में ज़िलाधीश महोदय को भारतीय स्टेट बैंक के पत्र क्रमांक मा.बै.वि./497 दिनांक 24.10.2018 के माध्यम से आरसेटी जालौर को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया है, जिला कलेक्टर कार्यालय, जालोर से कार्यवाही अपेक्षित है. उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से जिला कलेक्टर जालौर को समुचित दिशा- निर्देश प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

जालौर (भारतीय स्टेट बैंक) : प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि पूर्व में टेगोर नगर पाली में नगर परिषद, पाली द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) को 1000 वर्ग गज तक भूमि आरक्षित दर के 5 प्रतिशत दर पर आवंटित किए जाने की स्वीकृति पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी थी, परंतु आरसेटी बिल्डिंग बनाने के लिए न्यूमतम 0.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है. अतः नगर परिषद पाली को पुनः 26.02.2018 को आरसेटी पाली हेतु न्यूमतम 0.5 एकड़ भूमि उपलब्ध करने हेतु लिखा गया है. नगर परिषद पाली द्वारा मानपुरा भाकरी रोड पर एक बीघा 2.5 बिसवा भूमि बताई गयी है, जो कि 0.5 एकड़ से कम है. अतः आयुक्त नगर परिषद पाली को 0.5 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने हेतु पुनः निवेदन किया गया है. उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से जिला कलक्टर पाली को समुचित दिशा- निर्देश प्रदान करने हेतु अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि उनके बैंक के बोर्ड ने 1 एकड़ से कम जमीन आवंटन होने पर प्रोजेक्ट व्यवहार्य नहीं होने के चलते बैंक की 30वीं बोर्ड मीटिंग में आर-सेटी, अलवर केंद्र एवं अन्य संचालित आर सेटी को आवंटित भूमि पर भवन निर्माण प्रस्ताव का समर्पण करने का निर्णय लिया गया है.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि लगभग 4 वर्ष से लंबित आर सेटी को भूमि आवंटन करने से संबन्धित मुद्दे शीघ्र सुलझाए जाएँ एवं ग्रामीण विकास विभाग की ज़िम्मेदारी है कि वो आर-सेटी को निशुल्क भूमि का आवंटन करवाएँ. साथ उन्होने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के संशोधित परिपत्र के अनुसार 0.50 एकड़ भूमि भी आर-सेटी को भवन निर्माण कार्य के लिए आवंटित की जा सकती है जिसके लिए समस्त आरसेटी प्रयोजक बैंक बाध्य है.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित करने हेतु अनुरोध किया जिसमें आर सेटी के भूमि आवंटन से संबन्धित समस्त मुद्दों पर चर्चा कर उनका समाधान निकाला जा सके.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

राज्य निदेशक, आर सेटी ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रशंसनीय रूप से आर सेटी का संचालन किया जा रहा है साथ ही अन्य सभी बैंकों से अनुरोध किया कि आर सेटी में पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नियुक्त करना सुनिश्चित करें.

Charging Commercial tariff for electricity connection given to RSETI buildings

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरसेटी युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें कौशल निर्माण का कार्य करती है जिसमें किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है अतः ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि वे संबन्धित बिजली विभाग को निर्देशित करें कि आर सेटी भवन को दिये गए बिजली कनेक्शन पर व्यावसायिक दरें लगाने की बजाए घरेलू दर से चार्ज वसूला जाये.

प्रतिनिधि, राजीविका, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने सदन को इस संबंध में उचित कार्यवाही करने हेतु आश्वस्त किया.

Credit Assistance given to RSETI trainees under MUDRA Scheme- As on 30.09.2018

वरिष्ठ प्रबन्धक,राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने आरसेटी प्रशिक्षुओं के मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण हेतु 2864 आवेदन लंबित होने से सूचित किया. उन्होने सदस्य बैंकों से अनुरोध किया कि वे अपनी शाखाओं को 15 दिनों के भीतर लंबित ऋण आवेदनों का निस्तारण करने हेतु निर्देशित करें. डीसीसी संयोजक बैंकों

से अनुरोध है कि वे डीएलआरसी / बीएलबीसी बैठकों में प्रगति की निगरानी के लिए अग्रणी जिला प्रबन्धकों को निर्देशित करें.

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत आरसेटी / रुडसेटी के माध्यम से मेसन के काम के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण का क्रियान्वयन</u>

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एसएलबीसी कार्यालय द्वारा राज्य में समस्त आरसेटी निदेशकों को निर्देशित किया गया है कि वे जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर दिनांक 31.12.2018 तक प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत मेसन प्रशिक्षण की व्यवस्था करें.

राज्य निदेशक, आर सेटी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत जरूरतमंद लोगों को मेसन प्रशिक्षण प्रदान करने की कार्यवाही आरसेटी द्वारा की जा रही है एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से आवश्यक सहयोग के लिए अनुरोध किया.

<u>वित्तीय साक्षरता केंद्रों के लिए आरबीआई की आदर्श योजना के तहत प्रगति</u>

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि विभिन्न बैंकों ने 67 FLCs स्थापित किए हैं जिनके माध्यम से सितंबर 2018 तिमाही में (पार्ट ए) लक्षित समूह के लिए 755 एवं पार्ट बी के लिए 1300 विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं.

एजेंडा क्रमांक- 9

<u>Issues raised in Sub- Committee meeting of SLBC Rajasthan on Agriculture related schemes held on 16.11.2018</u>

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 16.11.2018 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उपसमिति (कृषि से संबन्धित योजनाओं) की बैठक के दौरान निम्नलिखित बिन्दु अनुसुलझे रहे है :

- राज्य के कुछ जिलों यथा भीलवाडा, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर इत्यादि के रजिस्ट्रार/तहसील कार्यालय द्वारा भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन करने एवं अन्य कारणों के चलते बैंक शाखाओं द्वारा प्रेषित कृषि भूमि के रहन के प्रकरण पिछले 2-3 माह से लंबित हैं जिससे कृषकों को ऋण प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं बैंको द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण प्रगति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.
- महापंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि समस्त रजिस्ट्रार/तहसील कार्यालय को निर्देशित करें कि भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन करने एवं अन्य कारणों के चलते बैंक शाखाओं द्वारा प्रेषित कृषि भूमि के रहन के प्रकरण अनावश्यक लंबित न करें.

- सामयिक बंधक (Equitable Mortgage) के लिए राज्य के समस्त कस्बों/नगरपालिका क्षेत्रों को Transfer of Property Act में चिन्हित (Notified) करने हेतु मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग राजस्थान सरकार से अनुरोध करते है।
- कृषि ऋण उपलब्ध करवाने हेतु कृषक की कृषि भूमि बंधक रखी जाती है एवं उक्त कार्यवाही संबन्धित रजिस्ट्रार/तहसील कार्यालय में संपादित की जाती है. विभिन्न बैंकों द्वारा सूचित किया है कि राजस्थान में कुछ स्थानों पर छलपूर्वक बैंक के लेटरपेड़ व मोहर का प्रयोग करते हुए बंधक निरस्त करवा लिया गया है. इस संबंध में मुद्रांक व पंजीयन विभाग तथा राजस्व विभाग से अनुरोध है कि कृषि भूमि का बंधन निरस्त करने से पूर्व संबन्धित बैंक शाखा से पुष्टि (Confirmation) करने हेतु राज्य के समस्त रजिस्ट्रार/तहसील कार्यालय को निर्देशित करें.

प्रतिनिधि, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि

- उनके कार्यालय द्वारा राज्य के समस्त रजिस्ट्रार/तहसील कार्यालय को भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन करने एवं अन्य कारणों के चलते बैंक शाखाओं द्वारा प्रेषित कृषि भूमि के रहन के प्रकरण लंबित नहीं करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है.
- सामयिक बंधक (Equitable Mortgage) के लिए राज्य के समस्त कस्बों/नगरपालिका क्षेत्रों को Transfer of Property Act में चिन्हित करने का प्रकरण न्याय विभाग, राजस्थान सरकार में प्रक्रियाधीन है एवं उन्होने उक्त प्रकरण को उनके कार्यालय पुनः प्रेषित करने हेतु एसएलबीसी से अनुरोध किया ताकि उनके कार्यालय द्वारा भी अनुवर्तन की कार्यवाही की जा सके.
- कृषि भूमि का बंधन निरस्त करने से पूर्व संबन्धित बैंक शाखा से पुष्टि (Confirmation) करने हेतु राज्य के समस्त रजिस्ट्रार/तहसील कार्यालय को निर्देशित करने का आश्वासन प्रदान किया.

(कार्यवाही : पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान सरकार)

अध्यक्ष, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक ने भी राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करवाया जाये जिससे बैंकों में किसान क्रेडिट कार्ड खाता खुलवाते समय धोखाधड़ी करने वालों पर लगाम लग सके.

प्रतिनिधि, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार ने भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की प्रक्रिया दिसंबर 2019 तक पूर्ण कर लिए जाने का आश्वासन दिया एवं बताया कि बैंकों में हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए समस्त रजिस्ट्रार/ तहसील कार्यालय को निर्देश प्रदान कर दिये जाएंगे.

(कार्यवाही : राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

एजेंडा क्रमांक-10

वरिष्ठ प्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने जनसुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए बैंक शाखा परिसर के बाहर लगे हुए Glow Sign Board के कारण बैंकों पर प्रभारित किये गये विज्ञापन शुल्क से राहत प्रदान करने हेतु स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से पुनः अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि उक्त प्रकरण पर निर्णय हेतु न्याय विभाग में प्रक्रियाधीन है एवं इस मुद्दे का समाधान शीघ्र किए जाने का आश्वासन प्रदान किया.

उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड ने ई-शक्ति पोर्टल के क्रियान्वयन पर विस्तृत जानकारी सदन को उपलब्ध करवाई.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैठक में राज्य सरकार के सकारात्मक रूख की सराहना की एवं बैठक के दौरान हुए सार्थक संवाद की सराहना करते हुए शानदार बैठक के आयोजन पर केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनी के अधिकारी सहित सभी बैंकर्स को बधाई प्रदान की.

श्रीमती सविता डी. केणी, उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा समिति में पधारे मंचासीन अतिथियों, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनी के अधिकारी सहित सभी बैंकर्स को धन्यवाद ज्ञापित किया गया.